निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 67 / 2021 तारीख दायरा 30.06.2021

उनवान

1. बलवन्त पुत्र मोहनलाल जाति नायक निवासी प्रेम नगर प्रथम पुलिस चौकी के सामने कोटा।
2. हरीश पुत्र मोहनलाल जाति नायक।
3. योगेश पुत्र मोहनलाल जाति नायक निवासीगण ग्राम मोईकलां तहसील सांगोद जिला कोटा।

—वादीगण

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र बालचन्द जाति नायक निवासी ग्राम मोईकलां तहसील सांगोद।
2. कृष्णा पुत्री मोहनलाल पत्नी रामकरण जाति नायक निवासी ग्राम गुमानपुरा सीमल्या तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान।
3. अनारबाई पत्नी मोहनलाल जाति नायक निवासीग्राम मोईकला तह0 सांगोद।
4. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय सांगोद जिला कोटा। — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :—

श्री अशोक कुमार जैन (वकील वादीगण) दिनांक :— 25.10.2021

श्री जावेद अंसारी (वकील प्रतिवादीगण)

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम मोईकलां पटवार हलका मोईकलां तहसील सांगोद जिला कोटा के खसरा न0 3117 की 0.07 हैक्टर, खसरा न0 3118 की 0.18 हैक्टर, खसरा न0 3119 की 0.32 हैक्टर, खसरा न0 3120 की 0.13 हैक्टर, खसरा न0 3121 की 0.11 हैक्टर, खसरा न0 3122 की 0.08

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

हैक्टर, खसरा न0 3127 की 0.45 हैक्टर, खसरा न0 3149 की 0.10 हैक्टर, खसरा न0 3152 की 0.42 हैक्टर, खसरा न0 3153 की 0.37 हैक्टर, खसरा न0 3218 की 0.97 हैक्टर व खसरा न0 683 की 0.49 हैक्टर इस प्रकार कुल किता 12 की कुल 3.66 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी न01 के नाम से दर्ज है। उक्त कृषि भूमियां पैतृक कृषि भूमियां है। उक्त कृषि भूमियों में से खसरा न0 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122 कृषि भूमियों के साबिक खसरा न0 1804 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, खसरा न0 3127, 3149, 3152 व 3153 के साबिक खसरा न0 1806 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा, खसरा न0 3218 रकबा 0.96 हैक्टर के साबिक खसरा न0 1892 रकबा 6 बीघा व खसरा न0 683 की 0.49 हैक्टर के साबिक खसरा न0 311 की 3 बीघा 1 बिस्वा रहे हैं।

साबिक खसरा न0 311 की 3 बीघा 1 बिस्वा कृषि भूमि व खसरा न0 1804 की 5 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि वादीगण के परदादा श्री मोत्या वल्द हरिनारायण नायक निवासी मोईकलां के खाते दर्ज रही है। इसी प्रकार साबिक खसरा न0 1806 की 8 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि श्री मोत्या को आवंटन हुई थी जो कि उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र बाला, बजरंग बेटा मोत्या जाति नायक निवासी मोईकलां के खाते दर्ज हुई। इसी प्रकार साबिक खसरा न0 1892 की 6 बीघा कृषि भूमि वादीगण के दादा श्री बाला पुत्र मोतीलाल जाति नायक निवासी मोईकलां को आवंटन हुई जो कि उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र प्रतिवादी न01 के नाम से खाते मे दर्ज रही। इस प्रकार उक्त समस्त कृषि भूमियां पैतृक कृषि भूमियां है, जिसमें वादीगण व प्रतिवादी कम 1, 2, 3 का कोपार्टनर होने से सम्भाग मे हक व हिस्सा है।

उक्त कृषि भूमि में से साबिक खसरा न0 1804, खसरा न0 311 व खसरा न0 1806 की कुल किता 3 की कुल 16 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि में से वादीगण के दादा श्री बाला व उनके भाई श्री बजरंगलाल ने उक्त कृषि भूमियों को कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सांगोद के पास पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहन रख दिया था जिसके उपरान्त श्री बाला व उनके भाई बजरंगलाल का स्वर्गवास हो गया तथा रहन की राशि को अदा नहीं कर पाने की वजह से बैंक द्वारा उक्त रहन शुदा भूमि की नीलामी बोली लगाई गई थी जो कि प्रतिवादी न01 के नाम पर स्वीकृत हुई थी। श्री मोहनलाल ने उक्त पैतृक कृषि भूमियों की आय से ही सम्पूर्ण नीलामी राशि की व्यवस्था कर बैंक को राशि अदा की थी। इस प्रकार उक्त भूमि प्रतिवादी कम 1 के नाम से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हुई।

वादीगण व प्रतिवादी कम 2, 3 तथा प्रतिवादी कम 1 उक्त कृषि भूमियों पर मौके पर शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में है तथा मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप वादीगण व प्रतिवादी न0 1, 2, 3 के हिस्से मे निम्न प्रकार कृषि भूमियां आई है

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

अ हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीकम 2 व 3

माल ग्राम	खसरा न0	रकबा
मोईकला	3119	0.32 में से 0.17 हैक्टर उत्तरी
	3120	0.13 हैक्टर सम्पूर्ण
	3121	0.11 हैक्टर सम्पूर्ण
	3122	0.08 हैक्टर सम्पूर्ण
	3127	0.45 में से 0.22 हैक्टर उत्तरी
	3152	0.42 में से 0.21 हैक्टर उत्तरी
	3153	0.37 में से 0.19 हैक्टर उत्तरी
	3218	0.97 हैक्टर सम्पूर्ण
	683	0.49 में से 0.24 हैक्टर पूर्वी

इस प्रकार कुल 2.32 हैक्टर आराजी

ब हिस्सा प्रतिवादी कम 1 :–

माल ग्राम	खसरा न0	रकबा
मोईकलॉ	3117	0.04 हैक्टर सम्पूर्ण
	3118	0.18 हैक्टर सम्पूर्ण
	3119	0.32 में से 0.15 हैक्टर दक्षिणी
	3127	0.45 में से 0.23 हैक्टर दक्षिणी
	3149	0.10 हैक्टर सम्पूर्ण
	3152	0.42 में से 0.21 हैक्टर दक्षिणी
	3153	0.37 मे से 0.18 हैक्टर दक्षिणी
	683	0.49 में से 0.25 हैक्टर पश्चिमी

इस प्रकार कुल 1.34 हैक्टर आराजी

यदपि वादीगण, प्रतिवादी कम 2, 3 तथा प्रतिवादी कम 1 उक्तानुसार मौके पर शांति पूर्वक काश्त कर रहे है परन्तु उक्त कृषि भूमियां राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी कम 1 के नाम दर्ज होने की वजह से वादीगण उक्त कृषि भूमि का विकास कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। वादीगण ने प्रतिवादी कम 1 से कई बार मौखिक निवेदन किया कि मौके पर कब्जे काश्त अनुसार उक्त कृषि भूमियो का विभाजन करवाकर खाते में वादीगण व प्रतिवादी कम 2, 3 का नाम भी दर्ज करवा लेते है परन्तु प्रतिवादी कम 1 ना नुकर करता रहता है। इसलिए वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

उक्त कृषि भूमियों में अपना नाम दर्ज करवा कर कृषि भूमियों का विभाजन करवा लेवे। यही इस वाद की विषय वस्तु है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर माल ग्राम मोईकलां पटवार हलका मोईकलां तहसील सांगोद जिला कोटा के खसरा न0 3117 की 0.07 हैक्टर, खसरा न0 3118 की 0.18 हैक्टर, खसरा न0 3119 की 0.32 हैक्टर, खसरा न0 3120 की 0.13 हैक्टर, खसरा न0 3121 की 0.11 हैक्टर, खसरा न0 3122 की 0.08 हैक्टर, खसरा न0 3127 की 0.45 हैक्टर, खसरा न0 3149 की 0.10 हैक्टर, खसरा न0 3152 की 0.42 हैक्टर, खसरा न0 3153 की 0.37 हैक्टर, खसरा न0 3218 की 0.97 हैक्टर व खसरा न0 683 की 0.49 हैक्टर इस प्रकार कुल किता 12 की कुल 3.66 हैक्टर कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादी कम 2, 3 को प्रतिवादी कम 1 के साथ समभाग में खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा उक्त घोषणा के अनुकम में राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्त किया जावे। विवादित आराजी कुल किता 12 की कुल 3.66 हैक्टर कृषि भूमि का वाद पत्र की मद न0 4 में वर्णित अनुसार विभाजन किया जाकर बाद विभाजन वादीगण व प्रतिवादी कम 2 व 3 के हिस्से में आने वाली कृषि भूमियों को वादीगण व प्रतिवादी कम 2 व 3 के खाते में दर्ज किये जाने एवं शेष कृषि भूमियों को प्रतिवादी न0 1 के खाते में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें तथा उक्तानुसार लगान भी पृथक–पृथक किया जावे।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी हो चुकी है। प्रतिवादी स.4 बावजूद सूचना न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादी स. 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी स. 1 ता 3 की ओर से वकील श्री जावेद अंसारी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। इसके उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी स. 1 ता 3 द्वारा स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामे के मुख्य तथ्य निम्न प्रकार से है

1. विवादित आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी स. 2 व 3 का हिस्सा

माल ग्राम	खसरा न0	रकबा
मोईकला	3119	0.32 में से 0.17 हैक्टर उत्तरी
	3120	0.13 हैक्टर सम्पूर्ण
	3121	0.11 हैक्टर सम्पूर्ण
	3122	0.08 हैक्टर सम्पूर्ण
	3127	0.45 में से 0.22 हैक्टर उत्तरी
	3152	0.42 में से 0.21 हैक्टर उत्तरी

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

3153	0.37 में से 0.19 हैक्टर उत्तरी
3218	0.97 हैक्टर सम्पूर्ण
683	0.49 में से 0.24 हैक्टर पूर्वी

इस प्रकार कुल 2.32 हैक्टर आराजी

2. विवादित आराजी में हिस्सा प्रतिवादी कम 1 ::—

माल ग्राम	खसरा न0	रकबा
मोईकलॉ	3117	0.04 हैक्टर सम्पूर्ण
	3118	0.18 हैक्टर सम्पूर्ण
	3119	0.32 में से 0.15 हैक्टर दक्षिणी
	3127	0.45 में से 0.23 हैक्टर दक्षिणी
	3149	0.10 हैक्टर सम्पूर्ण
	3152	0.42 में से 0.21 हैक्टर दक्षिणी
	3153	0.37 मे से 0.18 हैक्टर दक्षिणी
	683	0.49 में से 0.25 हैक्टर पश्चिमी

इस प्रकार कुल 1.34 हैक्टर आराजी

राजीनामा सरे इजलास पढकर सुनाया गया, किसी को कोई आपत्ति नहीं। वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता द्वारा तथा प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा की गई। राजीनाम तस्दीक किये जाने के उपरान्त अधिवक्ता उभयपक्षकारान ने राजीनामे के अनुसार वाद स्वीकार करने की प्रार्थना की।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबंदी, राजीनामा इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेष दिये जाते हैं कि—

माल ग्राम मोईकलां पटवार हलका मोईकलां तहसील सांगोद जिला कोटा के खसरा न0 3117 की 0.07 हैक्टर, खसरा न0 3118 की 0.18 हैक्टर, खसरा न0 3119 की 0.32 हैक्टर, खसरा न0 3120 की 0.13 हैक्टर, खसरा न0 3121 की 0.11 हैक्टर, खसरा न0 3122 की 0.08 हैक्टर, खसरा न0 3127 की 0.45 हैक्टर, खसरा न0 3149 की 0.10 हैक्टर, खसरा न0 3152 की 0.42 हैक्टर, खसरा न0 3153 की 0.37 हैक्टर, खसरा न0 3218 की 0.97 हैक्टर व खसरा न0 683 की 0.49 हैक्टर इस प्रकार कुल किता 12 की कुल 3.66 हैक्टर कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादी कम 1, 2, 3 को निम्नानुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है —

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

1. विवादित आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 का हिस्सा –

माल ग्राम	खसरा न0	रकबा
मोईकलां	3119	0.32 में से 0.17 हैक्टर उत्तरी
	3120	0.13 हैक्टर सम्पूर्ण
	3121	0.11 हैक्टर सम्पूर्ण
	3122	0.08 हैक्टर सम्पूर्ण
	3127	0.45 में से 0.22 हैक्टर उत्तरी
	3152	0.42 में से 0.21 हैक्टर उत्तरी
	3153	0.37 में से 0.19 हैक्टर उत्तरी
	3218	0.97 हैक्टर सम्पूर्ण
	683	0.49 में से 0.24 हैक्टर पूर्वी

इस प्रकार कुल 2.32 हैक्टर आराजी

2. विवादित आराजी में हिस्सा प्रतिवादी कम 1 ::–

माल ग्राम	खसरा न0	रकबा
मोईकलॉं	3117	0.04 हैक्टर सम्पूर्ण
	3118	0.18 हैक्टर सम्पूर्ण
	3119	0.32 में से 0.15 हैक्टर दक्षिणी
	3127	0.45 में से 0.23 हैक्टर दक्षिणी
	3149	0.10 हैक्टर सम्पूर्ण
	3152	0.42 में से 0.21 हैक्टर दक्षिणी
	3153	0.37 मे से 0.18 हैक्टर दक्षिणी
	683	0.49 में से 0.25 हैक्टर पश्चिमी

इस प्रकार कुल 1.34 हैक्टर आराजी

उपरोक्तानुसार पक्षकारान को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

र्णय आज दिनांक 25.10.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद